(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 4207–एक / 2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 596 / अपील / 2015–16.

....

1–दिलीप कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर लुहार
2–उमेश कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर लुहार
निवासीगण ग्राम रिछार तहसील व जिला
दतिया म0 प्र0

---अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1–गजराज पुत्र श्री खुशाली दांगी
2–सिरोमन श्री खुशाली दांगी
3–संतोष श्री खुशाली दांगी
निवासीगण ग्राम रिछार तहसील
व जिला दतिया म0 प्र0

---प्रत्यर्थीगण

4–रामजीशरण पुत्र श्री रामलाल लिटोरिया
5–रामजीशरण पुत्र श्री रामकुमार यादव
निवासीगण ग्राम रिछार तहसील
व जिला दतिया म0 प्र0
6–श्रीमती शीला पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद
7–मनोज पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद लिटोरिया
निवासीगण लिटोलिया वाली गली
दतिया म0 प्र0
8–श्रीमती साधना कौशिक पुत्री राजेन्द्र प्रसाद
लिटोरयिा पत्नी श्री रमाशंकर कौशिक,
निवासी शनिचरा मोहल्ला दतिया म0 प्र0

--- तरतीवी प्रत्यर्थीगण

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

....

आदेश

(आज दिनांक 02/04/19 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक गजराज सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 89 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम रिछार के सर्वे कमांक 197/1, 197/2, 197/3 के नक्शे की आकृति बंदोवस्त के पूर्व के अनुसार संशोधित किये जाने की मांग की गई। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संशोधन के आदेश दिये गये। इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 596/अपील/2015–16 पर दर्ज होकर उसमें अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये दिनांक 29.11.16 को आदेश पारित किया। जिससे से दुखी होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यार्थीगण द्वारा जो आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था उसमें अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि वह प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार थे क्यों कि उपरोक्त कार्यवाही में अपीलार्थीगण की भूमि प्रभावित हुई है। ऐसी स्थति में हितबद्व एवं आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह नितात अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह

निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी के पिता श्याम किशोर को विचारण न्यायालय द्वारा सूचना पत्र जारी किये गये थे, और उन्हें प्राप्त भी हुये थे लेकिन उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वास्तविकता यह है कि जब विचारण न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है तो सूचना पत्र जारी कैसे हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तर्क में यह भी बताया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 89 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे प्रेषित कर प्रकरण अपर कलेक्टर जिला दतिया को भेजा गया था, जिसमें उनके द्वारा संहिता की धारा 107 (5) के अंतर्गत आदेश पारित किया है जबकि असल आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रस्तुत था ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर दतिया द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह अधिकारिता रहित आदेश होने से प्रथम दृष्टिया निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है जबकि एक पक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं हैं अतः ऐसी स्थिति में अग्राह्य प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी तर्क किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा हितबद्व व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना नक्शा सुधार के संबंध में आक्षेपित आदेश पारित कर भूमि सर्वे कमांक 1201/1 रकवा 0.60 हैक्टेयर में से रकवा 0.03 हैक्टेयर कम करते हुये प्रतयर्थी कमांक 1 लगायत 3 की भूमि में सम्मिलित किये जाने का आदेश पारित किया है वह नितांत अवैध एवं अनुचति होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । अंत में उनके द्वारा निवेदन कियागया है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक प्रकिया अपनाई जाकर और जांच प्रतिवेदन आहुत कर बंदोवस्त की त्रुटि सुधारने का आदेश दिया है। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत हितबद्व व्यक्तियों को सूचना पत्र जारी किया गया है एवं अनुपस्थित होने के कारण ही उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अंत

में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण की अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 89 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा संहिता की धारा 107 (5) के अंतर्गत आदेश पारित किया है जबकि असल आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रस्तुत था ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर दतिया द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह अधिकारिता रहित आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है जबकि प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राहय योग्य ही नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था वह एक पक्षीय प्रतिवेदन था, और उसमें कोई मुख्य मुददा एवं बिन्दु नहीं था, जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा हितबद्व व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना नक्शा सुधार के संबंध में आक्षेपित आदेश पारित कर भूमि सर्वे कमांक 1201/1 रकवा 0.60 हैक्टेयर में से रकवा 0.03 हैक्टेयर कम करते हुये प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 की भूमि में सम्मिलित किये जाने का आदेश अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा किया गया है वह विधि के विरूद्व है क्यों कि हितबद्व पक्षकार होते हुये भी उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, क्यों कि प्रत्यर्थीगण की भूमि प्रभावित हुई है। अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा संहिता की धारा 107 (5) के अंतर्गत नक्शा में सुधार करना था तो वह पहले पूरे मौजा का अथवा पटवारी हल्के का पुराने नक्शा से मिलान करके सुधार करना चाहिये था लेकिन पुराना नक्शा से मिलान किये वगैर आदेश पारित किया गया है। **Land Revenue Code 1959 [M.P.] – sec 107 scope of – order regarding correction of map—cannot be passed without providing hearing opportunity to interested person—**

before passing any order demarcation of adversely offected servey Numbres. should Also be made. अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और अपर कलेक्टर जिला दतिया का आदेश स्थिर रखने में विधि की भूल की है इसलिये अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। **''मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 41 के नियम 7 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को अहितकारी [to the detriment of] कोई अंतिम आदेश उसे सुने जाने का अवसर दिये बिना, और यदि वह वैसी इच्छा करे, उसे सुने बिना पारित नहीं किया जायेगा तथा जहां दो पक्षकरों में परस्पर विरोधी स्वत्व एवं हितों का संबंध हो, उन दोनों को ऐसा अवसर दिया जावेगा''**

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 208/बी–121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2011 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 596/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 त्रुटिपूर्ण एवं एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त किये जाते है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर